भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 5344

(दिनांक 28.03.2018 को उत्तर के लिए)

अनुभाग अधिकारी और आशुलिपिक की परीक्षा

5344. डॉ. उदित राजः

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि माननीय उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने अपने एक निर्णय में डीओपीटी के दिनांक 22.7.1997 के कार्यालय ज्ञापन को अवैध घोषित किया है और अनुभाग अधिकारी, (एसओ)/आशुलिपिक ग्रेड 'बी' सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा-1996 में अर्हतांक/मानकों के मूल्यांकन में छूट देकर, सभी उत्तरवर्ती लाभों के साथ, इस परीक्षा के परिणामों में संशोधन करने के लिए सरकार को निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क): जी, हां।

(ख): इंदिरा साहनी बनाम यूओआई मामले में दिए गए निर्णय के साथ पठित एस. विनोद कुमार बनाम यूओआई के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में स्थापना (आरक्षण), डीओपीटी ने दिनांक 22.07.1997 के अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/23/96-स्थापना (आर.) द्वारा दिनांक 23.12.1970 और 21.01.1977 के अपने कार्यालय ज्ञापनों में समाविष्ट अनुदेशों को उस सीमा तक वापिस ले लिया था जिस सीमा तक इनमें पदोन्नति के लिए विभागीय अर्हक/प्रतियोगी परीक्षाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए कम अर्हक अंकों का प्रावधान किया था। इसके पश्चात संविधान (82 वां संशोधन) अधिनियम, 2000 के अनुसरण में इन प्रावधानों को फिर से बहाल किया गया था। तथापि, वर्ष 1996 से 1999 तक के लिए अनुभाग अधिकारी/स्टैनो सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के आयोजन के लिए

अधिसूचित नियमावली में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए कम अर्हक अंकों/मूल्यांकन स्तर के लिए कोई प्रावधान नहीं था। इसके परिणाम स्वरुप किसी भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार ने 1996 से 1999 तक के वर्षों के लिए अनुभाग अधिकारी सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की थी।

ii. इससे व्यथित हो कर, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कुछ उम्मीदवार, जो श्रेणी-I (सीएसएस के अनुभाग अधिकारी) के तहत एलडीसीई, 1996 में शामिल हुए थे, 1998 से मुकदमेबाजी शुरू कर दी और मामला शीर्ष न्यायालय तक पहुंचा था।

iii. माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2004 की सिविल अपील संख्या 6046-6047 में दिनांक 15.07.2014 के अपने निर्णय द्वारा निम्नानुसार आदेश दिया था।

> "11. इसके फलस्वरुप सिविल अपीलों की अनुमति दी गई है। आदेश को निरस्त कर दिया गया है। 1997 के कार्यालय ज्ञापन को अवैध घोषित किया गया है। प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे अपीलकर्ताओं को आरक्षण का प्रावधान करते हुए और सभी परिणामी राहत, यदि अभी तक प्रदान नहीं किया गया है तो, देते हुए अनुभाग अधिकारी/आशुलिपिकों (ग्रेड-ख/ग्रेड-I) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 1996 में परिणामों को संशोधित करें....."

iv. उपर्युक्त निर्णय के अनुपालन में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने एसओ/स्टैनो (ग्रेड-ख/ग्रेड-I) एलडीसीई, 1996 के परिणामों को संशोधित किया और संशोधित परिणामों के अनुसार अपीलकर्ताओं, जिन्हें सफल घोषित किया गया था को श्रेणी-I (अनुभाग अधिकारी के ग्रेड) के तहत परीक्षा कोटे के विपरीत अनुभाग अधिकारी चयन सूची-1996 में शामिल किया गया था। बाद में, यह लाभ इसी प्रकार की स्थिति वाले ऐसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों को भी दिया गया था जिन्हें एसओ/स्टैनो (ग्रेड-ख/ग्रेड-I) एलडीसीई, 1996 के संशोधित परिणामों में उत्तीर्ण घोषित किया गया था।

v. इस संबंध में, इस विभाग द्वारा परिणामी लाभ, उनके एसओ चयन सूची 1996 में शामिल होने पर एसओ ग्रेड में इन अधिकारियों के वेतन के पुनः निर्धारण के लिए आदेश पहले ही जारी कर दिए गए हैं। 1996 की अनुभाग अधिकारी चयन सूची में उनको शामिल किए जाने के पश्चात, उनके ठीक नीचे के कनिष्ठ अधिकारी की स्थिति के संदर्भ में उनकी वरिष्ठता के क्रम में उन्हें उपयुक्त यूएसएसएल (सीएसएस के अवर सचिव ग्रेड) में अनंतिम तौर पर अंतर्वेशित किया गया था। इसके पश्चात अवर सचिव ग्रेड में वेतन निर्धारण लाभ भी प्रदान कर दिया गया है।

(ग) : प्रश्न नहीं उठता।